(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2017/4678 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-11-2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील सांवेर जिला इंदौर, प्रकरण क्रमांक 10/अ-13/16-17

1-बद्रीलाल पिता सिद्धनाथ
2-प्रेमबाई पति स्व0मनोहर
3-अर्पित पिता स्व0मनोहर
4-अजय पिता स्व0मनोहर
सभी निवासी ग्राम ब्राम्हणखेड़ी
तहसील सांवेर जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-रामा पिता बुरखीलाल
2-बोंदा पिता बुरखीलाल
3-जगदीश पिता बुरखीलाल
4-कमल पिता देवीसिंह
सभी निवासी ग्राम सोलसिन्दा तहसील सांवेर जिला इंदौर
5-शिवनारायण पिता राधेश्याम अग्रवाल
पता श्री गणेश ट्रेडिंग कम्पनी धरमपुरी
सांवेर रोड इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मनीष पालीवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय तहसील सांवेर के समक्ष संहिता की धारा 131 सहपठित धारा 32 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सोलसिन्दा स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 9/2, 9/1, 9/4/2 रकबा क्रमश: 0.303, 0.607, 0.760 हेक्टैयर की कृषि भूमि पर कृषि यंत्र लाने व ले जाने के रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किये जाने के कारण रास्ता खुलवाये जाने का निवेदन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 6-11-2017 को अंतरिम आदेश पारित कर स्थल निरीक्षण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से सहमत होते हुये प्रकरण के अंतिम निराकरण तक रास्ता खोले का आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में वर्तमान आवेदकगण द्वारा दिखाये गये वैकल्पिक परम्परागत रास्ते का कोई उल्लेख नहीं करते हुये आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा मौके पर प्रस्तुत नक्शे के अनुसार ग्राम सोलसिन्दा के कटक्या की पक्की डामर रोड से लगे हुये सर्वे नम्बर 12 एवं 13 की मेढ़ से होते हुये अनावेदकगण की भूमियों तक आने जाने के परम्परागत रास्ते के होते हुये भी नवीन रास्ता देने में त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि तहसील न्ययालय द्वारा आवेदक गण की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 7, 8 एवं 11 की भूमि में आने जाने हेतु आवेदकगण द्वारा निजी रास्ता छोड रखा है, जो कभी भी अनावेदकगण का परम्परागत रास्ता नहीं रहा है, जबकि सर्वे क्रमांक 10 के पूर्व भूमिस्वामी जमनालाल पिता बद्रीलाल ने अपने शपथपत्र में यह कथन किया है कि अनावेदकगण आवेदकगण द्वारा बतलाये गये रास्ते से ही अपने खेतों में आते जाते हैं । अत: तहसील न्यायालय द्वारा नवीन रास्ता देने में विधिक भूल की गई है । उनके द्वारा तहसील

न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाये एवं तहसील न्यायालय में प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण होना है जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध होने से यह निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया है जिसमें वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध बताया गया है । प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दो पंचनामें क्यों है, यह भी अस्पष्ट है । प्रश्नाधीन भूमि पर आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग होने से अंतरिम रास्ते का कोई औचित्य नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-11-2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को दो माह में अंतिम निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर